न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 67/2024

प्रमोद कुमार पुत्र बुद्धकरण जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. २ मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)।

आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मण्डावा जिला झुन्झुनू ।
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
3. कमलेश जोशी पुत्र सागरमल जाति ब्राहम्ण निवासी सेक्टर नं. 6 विधाधर नगर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.01.2025

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि व हाल खसरा नम्बर 178 रकबा 1.2200 हैक्टर, खं.नं. 188 रकबा 0.10 हैक्टर, खं.नं. 218/75 रकबा 0.3400 हैक्टर, खं.नं. 221/189 रकबा 0.1000 हैक्टर, खं.नं. 242/179 रकबा 2.0870 हैक्टर, खं.नं.258/83 रकबा 0.1990 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.0460 हैक्टर वाके ग्राम ढ़ाणी जोशियान, पटवार हल्का तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में अवस्थित है जिसके आवेदक व अनावेदक नं. 3 खातेदार कास्तकार है।दिनांक 28.12.2023 को श्रीमान् तहसीलदार मण्डावा के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 27 दिनांक 27.12.2023 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 258/83 रकबा 0.1990 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान करवाया था।आवेदक ने श्रीमान् तहसीलदार मण्डावा के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 27 दिनांक 27.12.2023 की पालना में भूमि खसरा नम्बर 258/83 रकबा 0.1990 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान होने के उपरान्त तहसीलदार मण्डावा के यहां पुख्ता चिन्ह कायम करने के लिए पत्थरगढ़ी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार मण्डावा ने सक्षम न्यायालय के आदेश लाने पर ही पत्थरगढ़ी करने की बात कही इसलिए यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।6. अनावेदक नं. 1 को लैण्ड होल्डर की हैसियत व कानूनी खामी से बचने के लिए पक्षकार बनाया गया है तथा अनावेदक नं. 2 के यहां उक्त कृषि भूमि रहन होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। अनावेदक नं. 3 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की हाल खसरा नम्बर 178 रकबा 1.2200 हैक्टर, खं.नं. 188 रकबा 0.10 हैक्टर, खं.नं. 218/75 रकबा 0.3400 हैक्टर, खं.नं. 221 / 189 रकबा 0.1000 हैक्टर, खं.नं. 242/179 रकबा 2.

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

पत्रक
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

0870 हैक्टर, ख.नं. 258/83 रकबा 0.1990 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.0460 हैक्टर वाके ग्राम ढाणी जोशियान, पटवार हल्का तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। खसरा नम्बर 258/83 रकबा 0.1990 हैक्टर भूमि के सीमा निर्धारित किये जाने का आदेश दिया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवाये जाने का आदेश दिया जावें तथा आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को आदेशित निर्देशित किया जावे।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि का न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 03 बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या सख्या 01 लगायत 03 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल में शामिल पूर्व सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में विपरित कब्जे बाबत कोई उल्लेख नही है।अतः प्रार्थी के प्राथर्ना पत्र दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर ग्राम ढाणी जोशियान पटवार हल्का तेतरा में मुताबिक सीमाज्ञान दिनाक 28.12.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। विपरित कब्जे काश्त होने की स्थिती में यह आदेश स्वतः शुन्य होगा। तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परमेश कुमावत)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा